भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1148
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फ़रवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"जीवनरक्षक दवाओं पर आयात शुल्क/करों में कमी"

1148. **श्री बिप्लब कुमार देब:**
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री लुम्बा राम:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के लिए जीवन रक्षक दवाओं पर आयात शुल्क या करों को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसे आयातों के मामले में जीएसटी छूट है; और
(ग) ऐसी छूटों को प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): (i) अनुलग्नक 'क' में सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सभी दवाएं, औषधियां और विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य (एफएसएमपी) को मूल सीमा शुल्क और आईजीएसटी से तब छूट दी गई है, जब इन्हें:-

1. व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किया जाता है।

2. अनुलग्नक 'ख' में सूचीबद्ध उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा, या किसी भी उत्कृष्टता केंद्र द्वारा अनुशंसित किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा आयात किया जाता है।

(ii) केंद्रीय बजट 2025-26 में, दुर्लभ बीमारियों के लिए अनुलग्नक 'ग' में जीवन रक्षक दवाओं या दवाओं को अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की सूची 4 में जोड़ा गया है, जिस पर 'शून्य' मूल सीमा शुल्क लगता है।

(ग): अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क के तहत निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार है:

(i) व्यक्तिगत आयात के लिए, व्यक्ति को महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा क्लीयरेंस के समय

सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क के समक्ष प्रमाणित एक फॉर्म (अनुलग्नक 'घ' के रूप में संलग्न) प्रस्तुत करना होगा या उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपायुक्त या सहायक आयुक्त को यथास्वीकार्य वचनबध देना होगा, ऐसा न करने पर उस पर लगाए जाने वाले शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ii) किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आयात के लिए, अनुलग्नक 'ख' में सूचीबद्ध किसी भी उत्कृष्टता केंद्र द्वारा अनुशंसा की जानी चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वह व्यक्ति (नाम से) जिसके लिए दवाओं या औषधियों [विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दवाएं, औषधि या खाद्य पदार्थ (एफएसएमपी)] का आयात किया जा रहा है, वह एक दुर्लभ बीमारी (नाम से निर्दिष्ट किया जाना है) से पीड़ित है और उसे उक्त दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए इन दवाओं या औषधियों [विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दवाएं, औषधियां या खाद्य (एफएसएमपी)] की आवश्यकता है।

अनुलग्नक क

1. लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (एलएसडी)
2. एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी
3. सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी (एससीआईडी)
4. क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज
5. विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम
6. ऑस्टियोपेट्रोसिस
7. फैनकोनी एनीमिया
8. लैरोन सिंड्रोम
9. टायरोसिनेमिया
10. खराब मेटाबॉलिक नियंत्रण, कई लिवर एडेनोमा या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए उच्च जोखिम, या पर्याप्त सिरोसिस या लिवर डिसफंक्शन की स्थिति, या प्रोग्रेसिव लिवर फेलियोर के कारण ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर (जीएसडी) I, III और IV
11. मेपल सिरप यूरिन रोग (एमएसयूडी)
12. यूरिया सायकल विकार
13. ऑर्गेनिक एसिडेमिया
14. ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज
15. ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज
16. फेनिलकेटोनुरिया (पीकेयू)
17. नॉन-पीकेयू हाइपरफेनिलएलनिनेमिया कंडीशन
18. होमोसिस्टिनुरिया
19. यूरिया सायकल एंजाइम दोष
20. ग्लूटेरिक एसिड्यूरिया टाइप 1 और 2
21. मिथाइल मैलोनिक एसिडेमिया
22. प्रोपियोनिक एसिडेमिया
23. आइसोवालेरिक एसिडेमिया
24. ल्यूसीन सेंसिटिव हाइपोग्लाइसीमिया
25. गैलेक्टोसिमिया
26. ग्लूकोज गैलेक्टोज मैलाबॉर्बशन
27. सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी
28. जीएच की कमी
29. प्रेडर विली सिंड्रोम
30. टर्नर सिंड्रोम
31. नूनान सिंड्रोम
32. एसिडेमिया, माइटोकॉन्ड्रियल डिसोर्डर
33. अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफाइरिया
34. विल्सन रोग
35. कन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया
36. नियोनेटल ऑनसेट मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी रोग (एनओएमआईडी)
37. गौचर रोग टाइप I और III
38. हर्लर सिंड्रोम [म्यूकोपॉलीसेकेरिसोसिस (एमपीएस) टाइप I]

39. हंटर सिंड्रोम (एमपीएस II)
40. पोम्पे रोग
41. फैब्री रोग
42. एमपीएस IVA
43. एमपीएस VI
44. सिस्टिक फाइब्रोसिस
45. ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
46. स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी
47. वोलमैन रोग
48. हाइपोफॉस्फेटेसिया
49. न्यूरोनल सेरोइड लिपोफ्यूशिनोसिस
50. हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स
51. एक विशिष्ट हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम।

अनुलग्नक ख

(1) एम्स, (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) नई दिल्ली
(2) सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, बेंगलूरु
(3) इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता
(4) किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई
(5) मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
(6) निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिकंदराबाद
(7) पीजीआईएमआर, चंडीगढ़
(8) संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ

अनुलग्नक ग

1. ओनासेमनोजेन एबेपार्वोवेक
2. रिस्डिप्लाम
3. स्पेसोलिमैब
4. वेलाग्लूसेरेज़ अल्फा
5. एगलसिडेस अल्फा
6. रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल
7. इडुरसल्फेटेस
8. एल्ग्लुकोसिडेस अल्फा
9. लैरोनिडेस
10. ओलिपुडेस अल्फा
11. एगलसिडेस बीटा
12. इमीग्लूसेरेज़

अनुलग्नक घ

तालिका के क्रम संख्या 607ख के अंतर्गत आने वाली दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं/औषधियों/एफएसएमपी के लिए प्रपत्र।

प्रमाणपत्र संख्या .... (वर्ष) प्रमाणित किया जाता है कि ....(रोगी का नाम) के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवा ....(दवा/औषधि/एफएसएमपी का नाम), विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए एक दवा/औषधि/खाद्य पदार्थ (एफएसएमपी) है, जिसका उपयोग विशेष रूप से सूची 38 में विनिर्दिष्ट दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट की सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर तारीख सहित
महानिदेशक/उप महानिदेशक/सहायक महानिदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली अथवा स्वास्थ्य सेवा निदेशक
अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन